



फाइल सं0 6/1/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 21 जनवरी, 2011

वि-यः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की छठी बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक **10-01-2011** को 10.00 बजे पूर्वाह्न आयोजित छठी बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)

भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के निजी सहायक

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा.)
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा.)
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)
6. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)

(एस.एन. मीणा)

अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की छठी बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की छठी बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 10-01-2011 को 10.00 बजे पूर्वाह्न आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध- I पर है।

2. प्रारम्भ में, संयुक्त सचिव ने माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और माननीय सदस्यों का स्वागत किया। उसके बाद निम्नानुसार कार्यवाही आरम्भ की गई:-

उसके उपरान्त आयोग ने निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: आयोग की दिनांक 13-12-2010 को आयोजित तीसरी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई।

दिनांक 13-12-2010 को आयोजित आयोग की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट किया और अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची की मद संख्या 2: आयोग की दिनांक 27-12-2010 को आयोजित चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 27-12-2010 को आयोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चौथी बैठक का कार्यवृत्त (अनुबंध-1.1) दिनांक 04-01-2011 को परिचालित कर दिया गया था। आयोग ने तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी है।

कार्यसूची की मद संख्या 3: आयोग की दिनांक 27-12-2010 को आयोजित चौथी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई।

दिनांक 27-12-2010 को आयोजित आयोग की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को आयोग द्वारा नोट किया और अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची की मद संख्या 4: सम्पूर्ण देश के लिए अनुसूचित जातियों की एकल सूची

इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। माननीय अध्यक्ष ने चाहा कि प्रथम चरण में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य प्रमुखों को बुला कर उनके विचार लिए जाएं और उसके बाद आयोग मुद्दे की जांच करेगा और अपनी राय देगा। श्री राजू परमार, सदस्य (अनुबंध- II) की अध्यक्षता में एक

समिति इस मुद्दे पर पहले ही जांच कर रही है और जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने चाहा है, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनसे अनुरोध किया जाए। (कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 5: आरक्षण आदेशों के अनुसार रोस्टर्स के आधार पर वरीयता नियत करना।

इस मुद्दे पर चर्चा की गई और आयोग ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले विभिन्न मंत्रालयों से उनकी टिप्पणी प्राप्त की जाए तथा कानूनी पेचीदगी, यदि कोई हो, की जांच की जाए और मामले को आयोग के समक्ष रखा जाए। (कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 6: दो सुनवाईयों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्णयों पर सहमति के बाद भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जाना और बाद में एन.ए.सी.आई.एल. के अधीनस्थ निकाय द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों पर प्रश्न करना।

एअर इंडिया में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति के संबंध में श्रीमती दीपा कंचन के मामले पर श्री अनिल जाधव, मुख्य प्रबंध निदेशक और श्री अनूप श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक) से विचार-विमर्श किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने मुख्य प्रबंध निदेशक को कहा कि वे श्रीमती दीपा कंचन के मामले और श्री एन.के. सरोवा, सीनियर फ्लाइट इंजीनियर, एल.ए.सी.आई.एल. की पदोन्नति के संबंध में चार अन्य मामलों तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में श्रीमती ललीता देवी पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार, पूर्व-हैल्पर (इंजी.), आई.जी.आई.ए. के मामले, श्रीमती ऊषा, वरिष्ठ कार्यालयाध्यक्ष के यौन उत्पीड़न के मामले पर तथा श्री मीर सिंह, महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठन, करोल बाग, नई दिल्ली के मामले तथा एअर होस्टेस को अभद्रता से हटाए जाने के मामले की जांच करें और दिनांक 24-01-2011 को आयोग की स्थिति स्पष्ट करें। तथापि, एस.एस.डब्ल्यू. और ए.पी.सी.आर. स्कंधों द्वारा संबंधित केस फाइलों से ब्योरेवार कार्यवृत्त तैयार किए जाएंगे। (कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू एवं एपीसीआर)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 10-01-2011 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित छठी बैठक ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. नाम एवं पदनाम

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्या

श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव

अधिकारी

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक
2. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव
4. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव
5. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक
6. श्री एम. शिवकुमार, निदेशक, राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पुणे